Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 27-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 6, 2021 (ASADHA 15, 1943 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

जेल विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जून, 2021

संख्या 36/89/2019–1जे० जे०–II.– हरियाणा राज्य स्थित कारागारों में बंद बन्दियों की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि प्रदान करने हेतु हरियाणा के राज्यपाल इस नीति को बनाने हेतु सहमत है ।

2. प्राकृतिक रूप से हुई मृत्यु जिसमें किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु भी शामिल है के मामलों में कोई मुआवजा राशि स्वीकार्य नही होगी ।

3. निम्नलिखित अप्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु के मामलों में भी कोई मुआवजा राशि स्वीकार्य नही होगी:–

(i) जेलों में फरारी अथवा बाहर कानूनी हिरासत से भागने के दौरान मृत्यु होने पर; अथवा

(ii) किसी भी प्राकृतिक आपदा/विपत्ति के कारण मृत्यु होने पर ।

4. निम्नलिखित मामलों में अप्राकृतिक मृत्यु होने पर बन्दियों के परिजनों या विधिक उत्तराधिकारियों को निम्न प्रकार से मुआवजा राशि दी जाएगी :–

(i)	बन्दियों के बीच आपसी झगडें के कारण ।	रू0 7.5 लाख
(ii)	जेल कर्मचारियों द्वारा प्रताडित/पिटाई किये जाने के कारण।	
(iii)	जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा डयुटी में लापरवाही के कारण।	
(iv)	चिकित्सा अधिकारियों/ पेरा मैडिकल स्टाफ की लापरवाही के कारण।	
(v)	किसी बन्दी द्वारा आत्महत्या करने के कारण ।	रू0 5 लाख

5. सम्बन्धित जेल अधीक्षक बंदी की मृत्यु की विस्तृत रिपोर्ट, न्यायिक जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारणों की रिपोर्ट (Final Cause of Death), बन्दी के जेल में प्रवेश के समय की मैडिकल हिस्ट्री तथा चिकित्सा उपचार का विवरण (अगर कोई हो) उपरोक्त पैरा 4 के प्रावधानों के अनुसार उचित मुआवजा राशि प्रदान करने के लिऐ राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु महानिदेशक कारागार हरियाणा को भेजेगा ।

6. यह नीति, जैसा कि प्राविद्यानित हो, अधिसूचना की तिथि अथवा उसके पश्चात्, हरियाणा राज्य स्थित कारागारों में होने वाली बन्दियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने की स्थिति में लागू होगी ।

7. सचिव/विशेष सचिव, गृह उक्त मुआवजा धनराशि स्वीकृत करने हेतु अधिकृत होंगे।

राजीव अरोड़ा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

JAILS DEPARTMENT

Notification

The 29th June, 2021

No. 36/89/2019-1JJ-II.— The Governor of Haryana is pleased to formulate this policy for payment of compensation on account of death of prisoners confined in the jails of Haryana.

2. Compensation will not be admissible in cases of natural deaths including due to illness.

3. Compensation will also not be admissible in the following cases of unnatural deaths:-

(i) If the death occurs during escape from jails or from lawful custody outside the jails.

(ii) If the death occurs due to any natural disaster/calamity.

4. Compensation will be paid to the next of kin or legal heirs of prisoners on account of unnatural deaths, in the following cases:-

Dignitaries

(i)	Due to quarrel among prisoners.	
(ii)	Due to torture/beating by prison staff.	Rs. 7.5 lakh
(iii)	Due to negligence in duty by Prison officers/officials.	
(iv)	Due to negligence by Medical officers/para medical	
(v)	Due to suicide committed by prisoners.	Rs. 5 lakh

5. The Superintendent Jail concerned shall send detailed report alongwith copy of the Magisterial enquiry report, postmortem report, final cause of death, medical history at the time of admission in jail and detail of medical treatment, if any, given to the prisoner prior to his custodial death, to the Director General of Prisons, Haryana, for onward submission to the State Government for grant of appropriate compensation, as per the provision of Para-4 above.

6. This policy shall be applicable, as admissible, in respect of prisoners who suffer unnatural deaths in the jails of Haryana on or after the date of notification of this policy.

7. Secretary/Special Secretary, Home shall be authorised to sanction the above said Compensation.

RAJEEV ARORA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Jails Department.

9225—C.S.—H.G.P., Pkl.